

रिपोर्ट पटवारी: अधी के जमाबंदी सेवक 2013-16 में
 गणेशराम के जबकि अन्य सभी दस्तावेज में भीखा
 गणेशराम के। अतः भीखाराम पुत्र गणेशराम के स्थान
 भीखाराम पुत्र गणेशराम सभ किया जाना उचित है।

महेश पटवारी
 पटवारी (भूअ) जायल
 दुगौली
 जायल
 नागौर
 काश्तकार का नाम:-
 1. भीखाराम

रिपोर्ट भूअ.निरीक्षक: पटवारी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों के अनुसार भीकाराम पुत्र
 गणेशराम के स्थान पर भीखाराम पुत्र गणेशराम के सुई किया जाने
 रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार: 2023
 दुगौली

क्रमांक/शुद्धि/136/202 / दिनांक / / 202
 श.अ.नि. एवं पटवारी द्वारा रिपोर्ट के आधार पर अडेपन का नाम
 भीकाराम व भीखाराम सुई करने जाने की अडेपन का तहसीलदार (भूअ.) जायल
 राफन करे
 हाजिर

“प्रशासन गांवों के संग
 अभियान 2023”

आदेश

क्रमांक: शुद्धि/136/2023/द्वैप दुगौली/75 दिनांक - 05-05-2023

धारा की भीखाराम पुत्र गणेशराम, गाँव-दुगौली, खजरा नं/ख्यात
 जेम्बा 609, रकबा 9.2754 में राफनप रेड में भीखाराम की जगह भीखाराम
 रूप इन्जे की स्थिति की जो कि धारा-186 के तहत पटवारी दस्तावेज दुगौली
 भूअ.नि.मि. दुगौली, तहसीलदार जायल की रिपोर्ट की सामिल
 के आधार पर धारा की मूल नाम रेड में समिल-हराम डू डटने
 के अडेपन दिख जाते है। शेष पत्रावली दफ्तर शकिल है।
 धारा की नाम-भीखाराम पुत्र गणेशराम की जगह भीखाराम/गणेशराम
 करे के आदेश दिख जाते है।



प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
 उपखण्ड अधिकारी, जायल